

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1828/2026

URN: CMA / 3304U / 2026

Sitaram Hindala S/o Shri Ramlal Hindala, Aged About 30 Years,
R/o- Hindala Ka Bas, Village Losal, Tehsil Danta Ramgarh,
District Sikar.

----Claimant/Appellant

Versus

1. Shivalal Gurjar S/o Ganga Sahay Gurjar, R/o Gurjaron Ki Dhani, Gram Babanpura, Tehsil Sikrai District Dausa (Rajasthan) (Driver Of Vehicle Bus No. RJ-14-PD-7977)
2. Jaipur City Transport Service Ltd., Office Address- Second Floor, Old Women Hostel Office, Jaipur (Registered Owner Of Vehicle Bus No. RJ-14-PD-7977)
3. The New India Insurance Company Limited, Through Senior Divisional Manager, Divisional Office Tonk Road Jaipur. (Insurance Company Of Vehicle Bus No. RJ-14-PD-7977)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s) : Mr. Arjun Sharma, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Shiv Lal Meena, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

03/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय विशिष्ट न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-284/2021, सीताराम बनाम शिवलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 41,50,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 6,08,285/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,552/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी ट्यूशन पढ़ाने का कार्य कर 15,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के पैरों में अस्मिभंग व अन्य गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 31.81 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 31.81 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है,

जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-16 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 11.12.2020 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य कर 15,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया

गया है। किन्तु स्वयं की आय के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा ना ही स्वयं के पढ़ाई-लिखाई के दस्तावेज विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसे अकुशल श्रमिक होना मानते हुए अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए $252 \times 26 = 6,552/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। जबकि अपीलार्थी की आय की गणना 30 दिवस के आधार पर तय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी की आय $252 \times 30 = 7,560/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को 25 वर्ष 07 माह की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना माना गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 7,560/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत (3,024/- रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 10,584/- रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के पैरों में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर में कुल 31.81 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 31.81 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति पूर्णांक में 32 प्रतिशत मानी है। अतः अपीलार्थी को 31.81 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थी को आय की क्षति पूर्णांक में 32 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 10,584/- रुपये का 32 प्रतिशत 3,387/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के आधार कार्ड की फोटोप्रति में अंकित जन्मतिथि के आधार पर वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष 07 माह निर्धारित की गई है, किंतु अपीलार्थी को 26 से 30 वर्ष की आयु के मध्य मानते हुए 17 के गुणक का प्रयोग कर त्रुटि कारित की गई है। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष से तो अधिक थी, किन्तु अपीलार्थी पूर्ण रूप से 26 वर्ष आयु का नहीं हुआ था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **M.H. Uma Maheshwari & Ors. Vs. United India Insurance Co. Ltd. & Anr.** reported in **2020 (2) R.A.R. 185 (SC)** में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"9. The Tribunal, by recording a finding that the deceased was in the age group of 40 to 50 years, applied the multiplier of 13 while calculating the compensation. The High Court, curiously while maintaining the multiplier of 13 as per the judgment of this Court in compensation only on the ground that the deceased was aged 50 years 3 months on the date of the accident, as such the compensation is to be calculated on account of loss of dependency by granting future prospects at 15% but not 30%. So far as the application of multiplier of 13 by the Tribunal is concerned, the High Court has not interfered with the same. When the age of the deceased was considered in the group of 40 to 50 years, we are of the view that the High Court has committed error in granting only 15% towards future prospects instead of 30%. As per the judgments of this Court, primarily the age group is to be considered. Considering the age group as 40 to 50 years, when the multiplier of 13 is maintained by the High Court, there is no reason or justification for reducing the compensation by granting 15% towards future prospects. Though the learned counsel appearing for Respondent 1 Insurance Company has submitted that the compensation towards future prospects was awarded as per the

Constitution Bench judgment of this Court in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi³ but at the same time it is to be noticed that in the very same judgment in para 59.3, while considering the grant of future prospects, this Court has specifically said that the addition should be 30% if the age of the deceased was in the age group of 40 to 50 years. For application of multiplier, the High Court has also accepted the age group of the deceased between 40 and 50 years. In that view of the matter, there is no reason for reducing the compensation by granting future prospects at 15% only."

10. ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 व एम.एच. उमा महेश्वरी (उपरोक्त) तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **3,387 x 12 x 18 = 7,31,592 /— रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 7 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 4,200 /— रुपये, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 50,000 /— रुपये तथा मेडिकल बिलों की मद में 1,19,370 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 3,500 /— रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 3,500 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसे संशोधित करते हुए हम अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 15,000 /— रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 10,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः उक्त मद में हम अपीलार्थी को 60,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके पैरों के 2 ऑपरेशन होना बताया गया है। अतः अपीलार्थी को हम 2 ऑपरेशन होने हेतु शल्य चिकित्सा की मद में 20,000/- रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	7,31,592/- रुपये
2.	7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	4,200/- रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	50,000/- रुपये
4.	मेडिकल बिलों की मद में	1,19,370/- रुपये
5.	पौष्टिक आहार की मद में	15,000/- रुपये
6.	परिवहन व यातायात की मद में	10,000/- रुपये
7.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी के मद में	60,000/- रुपये
8.	शल्य चिकित्सा की मद में	20,000/- रुपये
9.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	10,10,162/- रुपये
10.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	6,08,285/- रुपये
11	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	4,01,877/- रुपये

14. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को 6,08,285/- रुपये दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर 10,10,162/- रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

16. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।
17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J